उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

सेवा में,

श्री कमलेन्द्र सिंह, (मालिक)
पुत्र श्री वीरेंदर सिंह,
बर्दादीह रोड, मुख्तियार गंज,
पोस्ट _ रघुराज नगर,
जिला – सतना, मध्य प्रदेश -**485001**
ईमेल – kamlendraskamlu@gmail.com

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में आपकी लालपुर चूनापत्थर खान (17.471 हेक्टेयर), माइन कोड – 38MPR35295 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 27.12.2023 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री रामानंद मिश्रा, पट्टाधारी प्रतिनिधि, श्री जे. एल. सराफ, खनन अभियंता एवं श्री विकाश सिंह, भूविज्ञानी की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
11 (1)	खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.- (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा। उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक- MP/सतना /LIMESTONE/RMP-15/2019-20 दिनांक 09.10.2019 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है.. **1. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 8076 M^3 टॉप सॉइल हटाने का प्रस्ताव था। जबकि वर्ष के दौरान टॉप सॉइल हटाने का कार्य बिलकुल भी नहीं किया गया।** **2. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 28652 M^3 ओवर बर्डन हटाने का प्रस्ताव था। जबकि वर्ष के दौरान केवल 9122 M^3 ओवर बर्डन हटाया गया।** **3. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 124996 टन चूना पत्थर उत्पादन का प्रस्ताव था। जबकि वर्ष के दौरान केवल 39800 टन चूना पत्थर का उत्पादन किया गया।** **खदान में** विकास कार्य के साथ-साथ उत्पादन में भी कमी पायी गई है।
12 (4)	**पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाएं.** - (4) विधमान खनन पट्टों के मामले में खनन पट्टे के अंतर्गत संपूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण (जी1स्तर) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। किन्तु निरीक्षण के दौरान यह पाया गया की संपूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण (जी1स्तर) नहीं किया गया है।

45(7)	यदि यह पाया जाता है कि खनन पट्टा धारक या खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न किसी भी व्यक्ति या कंपनी ने, यथास्थिति, दैनिक या मासिक या वार्षिक विवरणी में अधूरी या गलत या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है या निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; तो, – (क) खनन पट्टा धारक द्वारा खनिजों के खनन के मामले में खान के क्षेत्रीय नियंत्रक राज्य सरकार को सलाह दें सकते हैं कि तब- (i) खान में सभी खनन कार्रवाइयों के लिए निलंबन का आदेश दें और केवल उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद निलंबन के आदेश को रद्द करे; (ii) इन नियमों के अंतर्गत अभियोजन चलाने के लिए कार्रवाई आरंभ करे; (iii) अवैध खनन की मनोनुकलता या बढ़ावा देने की ओर संकेत करने वाली ऐसी किसी सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने के मामले में खनन पट्टे समाप्त करने की सिफारिश करना; वार्षिक विवरणी की जांच पर निम्नलिखित त्रुटिया पायी गई है:- **1. भाग 5 मद संख्या 1:- दिनांक 28/07/2023 को अनुमोदित खनन योजना में दर्शाया गया है की दिनांक 04/02/2023 से 18/02/2023 के मध्य 03 बोर होल अन्वेषण का कार्य किया गया किन्तु वर्ष 2022-23 के वार्षिक रिटर्न में इसका विवरण नहीं दिया गया है |** **2. भाग 5 मद संख्या 5:- खदान में किये गए वृक्षारोपण का विवरण सही नहीं दिया गया है ।** **3. भाग 6 मद संख्या 2:- खदान में उपस्थित ओवर बर्डन डंप से उत्पादन का कार्य नहीं किया जा रहा है किन्तु इस मद में डंप से उत्पादन कार्य दिखाया गया है जो की सही नहीं है |**

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर –2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।

03. एम सी डी आर –2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर –2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।

04. यदि आप एमसीडीआर 2017 के नियम 12(4) के तहत खदान में संपूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण (जी1स्तर) करने में विफल रहते है तो एमसीडीआर संशोधन नियम 2021 की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03/11/2021 के तहत 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

05. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय,

Signed by Madhavrao Sabre
Date: 08-01-2024 11:50:05
Reason: Approved

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला – सतना (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो